दिनांक–10.04.2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) के दिशा–निदेश के आलोक में राज्य के अभियंत्रण तथा डिप्लोमा संस्थानों में स्वीकृत कुल प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में पार्श्व–प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से सीधे नामांकन एवं प्रथम वर्ष में 05 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के नामांकन के संबंध में। — स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

2. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों/निकायों में कम्प्यूटर से संबंधित कौशल एवं योग्यता के आधार पर रूपये 4200/–मात्र के ग्रेड वेतन के साथ वेतनबैंड पीबी–2 में या उससे निम्न वेतनमान में सहायक प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग असिसटेंट, टेक्नीकल असिसटेंट, आई०टी० असिसटेंट, जुनियर नेटवर्क/ सिस्टम इंजीनियर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि पदनामों से सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद द्वारा कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजिनियरिंग /कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी शाखा में प्रदत्त तीन वर्षीय डिप्लोमा को वांछित शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने के संबंध में। — स्वीकृत।

वित्त विभाग

3. बिहार न्यायिक सेवा के 01.01.06 के पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण करने और कतिपय भत्तों के प्रभावी करने से संबंधित संकल्प 1616, दिनांक–24.02.2011 के संशोधन के संबंध में। — स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

4. साईबर अपराध थाना एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 6 (छः) पदों के सृजन करने के संबंध में। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

5.	श्रीमती नीलिमा सिन्हा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तिलौथू (रोहतास) को सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में।	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

6.	सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना एवं जनगणना के पश्चात इससे संबंधित जन शिकायत निवारण (PGR) की योजना की स्वीकृति तथा इन कार्यों पर होने वाले कुल व्यय 189.23 करोड़ रूपये की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7.	श्री कमल कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (सेवानिवृत) को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के पद पर 1 (एक) वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति के संबंध में।	स्वीकृत।